संख्या-685/2024/आई/828071/23-1-24/004-23-1002(002)/171/2024

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 18 दिसम्बर, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से देवीपाटन मण्डल के जनपद बलरामपुर के स्वीकृत कुल 20 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-11209/CE-HQ1/RSN5054/GON/2024-25, दिनांक 26.11.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **देवीपाटन मण्डल के जनपद बलरामपुर के स्वीकृत कुल 20 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 2,18,31,000/- (रूपये दो करोड़ अट्ठारह लाख इकत्तीस हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षके-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक / गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख. बलरामपुर	ग्रामसभा प्रानपुर में बूधनजोत से अहिरनडीह होते हुए रजवाजोत	52/2020/555 रासनि/23-1-20-33 रासनि तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/	235.86 235.86 187.25 1.10 234.76	234.35	0.41	0.41

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक / गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		अगईडीह तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024- दिनांक-11-03-2020				
2	नि.ख. बलरामपुर	बैजपुर मार्ग से डिहवा अर्जुनपुर दल्लीपुर होते हुए सिरसिया फार्म तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	53/2020/598 रासनि/23-1-20-25 रासनि/19 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024 /आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024- दिनांक-11-03-2020	344.39 344.39 277.48 0.30 344.09	343.73	0.36	0.36
3	नि.ख. बलरामपुर	बैजपुर मार्ग से उदईपुर गोंसाईपुर होते हुए न्योरी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	53/2020/598 रासनि/23-1-20-25 रासनि/19 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/ आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024- दिनांक-11-03-2020	379.15 379.15 305.44 0.35 378.80	378.39	0.41	0.41
4	नि.ख. बलरामपुर	पी0बी0 मार्ग के किमी0 364 से बायें नगवा पक्की सड़क से छितजोत सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	81 /2020/664 रासनि /23-1-20-57 रासनि/19 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024 /आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024- दिनांक-27-03-2020	345.30 345.30 274.29 1.60 343.70	342.12	1.58	1.58
5	नि.ख. बलरामपुर	शिवपुर महन्त में सहातूजोत चौराहे से हिक्षाजोत, पण्डितपुरवा, लोनियाजोत, सूर्यवलीडीह होते हुए सलदीजोत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	82 /2020/691 रासनि /23-1-20-2 रासनि/19 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024 /आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024- दिनांक-27-03-2020	305.96 305.96 242.07 0.50 305.46	300.15	5.31	5.31
6	नि.ख. बलरामपुर	शिवपुर महन्त में रहहटा से महोलिया, गहिरवा	82 /2020/691 रासनि /23-1-20-2 रासनि/19	270.48 270.48 217.63	269.38	0.62	0.62

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक / गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		प्रा0वि0 बुधानजोत होते हुए छगड़िहवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/ 23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024- दिनांक-27-03-2020	0.48 270.00			
7	नि.ख. बलरामपुर	नत्थूडिहवा खजुरि सोनपुर डीहवा सम्पर्क मार्ग	153/2021/289 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी-3 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024 /आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024- दिनांक-16-07-2021	364.20 364.20 280.30 0.65 363.55	350.75	12.80	12.80
8	नि.ख. बलरामपुर	पिपरादीप कादभारी तिराहा से अफवा तैंदुई सम्पर्क मार्ग	251/2021/626 रासनि/23-1-21-08 रासनि/21 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024 /आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024- दिनांक-02-11-2021	342.42 342.42 264.55 0.46 341.96	325.99	15.97	15.97
9	नि.ख. बलरामपुर	गैजहवा का मजरा केवटन सम्पर्क मार्ग	251/2021/626 रासनि/23-1-21-08 रासनि/21 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024 /आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024- दिनांक-02-11-2021	337.96 337.96 262.34 0.60 337.36	321.59	15.77	15.77
10	नि.ख. बलरामपुर	चकवा से मैनाडाबर खटिकनपुरवा पखियनपुरवा होते हुए भीखपुर तक सम्पर्क मार्ग	251/2021/626 रासनि/23-1-21-08 रासनि/21 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024	279.01 279.01 216.17 1.18 277.83	264.98	12.85	12.85

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक / गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
			/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024- दिनांक-02-11-2021				
11	नि.ख. बलरामपुर	कलन्दरपुर से जमालीजोत सम्पर्क मार्ग	251/2021/626 रासनि/23-1-21-08 रासनि/21 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/ आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024- दिनांक-02-11-2021	163.03 163.03 126.61 0.63 162.40	154.93	7.47	7.47
12	नि.ख. बलरामपुर	पेरह नियामतडीह होते हुए बनगवां सम्पर्क मार्ग	251/2021/626 रासनि/23-1-21-08 रासनि/21 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/ आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024- दिनांक-02-11-2021	335.69 335.69 262.16 0.52 335.17	322.48	12.69	12.69
13	नि.ख. बलरामपुर	उतरौला तुलसीपुर मार्ग से मुडिला भोपतपुर नौबस्ता होते हुए रजवापुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	251/2021/626 रासनि/23-1-21-08 रासनि/21 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/ आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024- दिनांक-02-11-2021	342.47 342.47 262.16 0.62 341.85	325.84	16.01	16.01
14	नि.ख. बलरामपुर	ए0जी0बी0एस0एन0 मार्ग से मिट्ठडीह, मलियाजोत, झलहिया, छोटका धुसवा तेलियनडीह रामपुर पन्नहवा होते हुए दलसिंहवा कालेज तक सम्पर्क मार्ग।	24/2022/1886 रासनि/23-1-21-46 रासनि/20 टीसी तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/ आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024- दिनांक-05-01-2022	413.16 413.16 236.08 0.71 412.45	394.02	18.43	18.43

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक / गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
15	नि.ख. बलरामपुर	नरायनपुर सरजोतिया मार्ग से बनकटवा अमानतडीह घिरावनडीह नौडिहवा धुन्नीजोत होते हुए प्राथमिक विद्यालय गडरहिया तक सम्पर्क मार्ग।	24/2022/1886 रासनि/23-1-21-46 रासनि/20 टीसी तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024 /आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024- दिनांक-05-01-2022	407.05 407.05 295.31 0.68 406.37	387.51	18.86	18.86
16	नि.ख. बलरामपुर	धुसवा हाजी जफरडीह मार्ग से राजकीय इण्टर कालेज हाजी जफरडीह, कलन्दर गांव मुबारकपुर बरगदही पूछकटवा लालपुर होते हुए जोगिया डीह तक सम्पर्क मार्ग।	24/2022/1886 रासनि/23-1-21-46 रासनि/20 टीसी तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/ आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024- दिनांक-05-01-2022	338.49 338.49 245.06 0.59 337.90	322.24	15.66	15.66
17	नि.ख. बलरामपुर	गैजहवा प्रा0 वि0 पाठशाला से साईंपुरवा पण्डितपुरवा होते हुए दुर्गापार तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	24/2022/1886 रासनि/23-1-21-46 रासनि/20 टीसी तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/ आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024- दिनांक-05-01-2022	435.06 435.06 248.21 0.74 434.32	414.15	20.17	20.17
18	नि.ख. बलरामपुर	चटहवा सम्पर्क मार्ग सतनापुर साईपुरवा कोअभ्या होते हुए बनीपुरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण का कार्य।	49/2021/1800 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/ आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024- दिनांक-07-01-2022	267.99 267.99 167.29 0.50 267.49	257.86	9.63	9.63
19	नि.ख. बलरामपुर	जीतनगर से मीरनडीह बिचलाडीह होते हुए इस्मेक्अरडीह गुन्नूडीह	56/2022/1365 रासनि/23-1-21-05 रासनि/21 टी0सी0 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक	365.83 365.83 232.44 0.69 365.14	348.60	16.54	16.54

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक / गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024 /आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024- दिनांक-07-01-2022				
20	नि.ख. बलरामपुर	श्रीनगर से मनकाकोट होते हुए सनेहीडीह तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	56/2022/1365 रासनि/23-1-21-05 रासनि/21 टी0सी0 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/ आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024- दिनांक-07-01-2022	361.00 361.00 232.44 0.69 360.31	343.54	16.77	16.77
						कुल योग-	218.31

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/ विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **कुल रू0 2,18,31,000/- (रूपये दो करोड़ अट्ठारह लाख इकत्तीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/ सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-685/2024/आई/828071(1)/23-1-24/004-23-1002(002)/171/2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।

11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।